प्रेस विज्ञप्ति
22.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 44 सहपठित धारा 45 के तहत, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित तथा धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध के संबंध में, निहाल वडक्कनचेरी नज़र, प्रसोभ पी.के., अल्फिन थॉमस, धीरज मैथ्यूज और निशांत प्रताप (आरोपी संख्या 8 से 12) के विरुद्ध दिनांक 18.09.2026 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरी गोवा (पीएमएलए के तहत विशेष न्यायालय) के समक्ष अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। यह अनुपूरक अभियोजन शिकायत दिनांक 16.03.2026 की मुख्य अभियोजन शिकायत के क्रम में दायर की गई है, जो दिनांक 13.02.2025 के ईसीआईआर/पीजेजेडओ/02/2025 से संबंधित है।

दिनांक 16.03.2026 की मुख्य अभियोजन शिकायत 07 आरोपियों (आरोपी संख्या 1 से 7) के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें मादक पदार्थों एवं मन:प्रभावी पदार्थों की संगठित अंतर-राज्यीय एवं सीमापार तस्करी के माध्यम से लगभग ₹3.96 करोड़ की अपराध से अर्जित आय के सृजन को स्थापित किया गया था। इसके पश्चात की गई आगे की जांच के परिणामस्वरूप उपर्युक्त पांच अतिरिक्त आरोपियों की पहचान हुई तथा उनके विरुद्ध अभियोजन चलाया गया। इन आरोपियों को आरोपी संख्या 8 से 12 के रूप में नामित किया गया है तथा अपराध से अर्जित आय के सृजन, खरीद, लेयरिंग, छिपाने और रूपांतरण, जिसमें सीमापार रूप से क्रिप्टोकरेंसी में रूपांतरण भी शामिल है, में उनकी-अपनी भूमिकाओं के संबंध में उन्हें आरोपी बनाया गया है।

ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 15.10.2024 की प्राथमिकी संख्या 22/2024 के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी, जो उत्तरी गोवा के पुलिस थाने के एंटी-नारकोटिक सेल द्वारा मधुपन सुरेश शशिकला के विरुद्ध स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20(बी) (ii)(ए) और 22(सी) के तहत दर्ज की गई थी। जांच में यह स्थापित हुआ कि मधुपन एस.एस. ने वर्ष 2016 से मादक पदार्थों एवं मन:प्रभावी पदार्थों की संगठित अंतर-राज्यीय एवं सीमापार तस्करी के माध्यम से लगभग ₹3.96 करोड़ की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की। इस अपराध से अर्जित आय के एक हिस्से की बैंकिंग माध्यमों के जरिए लेयरिंग की गई तथा उसे क्रिप्टोकरेंसी (यूएसडीटी) में रूपांतरित करने के लिए दुबई भेजा गया, जिसका तत्पश्चात डार्क वेब के माध्यम से मादक पदार्थों की खरीद के लिए उपयोग किया गया।

आगे की जांच के दौरान, अनुपूरक अभियोजन शिकायत में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, उनसे संबंधित अपराध से अर्जित आय की राशि का भी निर्धारण किया गया है।

जांच के दौरान, अनम चरण प्रधान (आरोपी संख्या 2) के पास ₹9,39,250/- तथा उत्तम चंद (आरोपी संख्या 3) के पास ₹17.48 लाख की अपराध से अर्जित आय की पहचान की गई। तत्पश्चात, अनम चरण प्रधान की ₹9,39,250/- मूल्य की तथा उत्तम चंद की ₹17.48 लाख मूल्य

की समतुल्य अचल संपत्तियों को दिनांक 16.09.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 13/2026 के माध्यम से अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

ईडी मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को उनके वित्तीय ढांचे को लक्षित करते हुए उजागर करने और ध्वस्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। यह कार्रवाई 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत निर्धारित व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य नशा–मुक्त भारत का निर्माण करना है। ईडी अवैध मादक पदार्थों के व्यापार और धन शोधन के माध्यम से उत्पन्न सभी संपत्तियों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उन्हें कुर्क करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।